

CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA
FOR THE YEARS 2018 - 2022

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Cambodia (hereinafter jointly referred to as the "Parties" and separately as a "Party");

RECALLING of the implementation of the Cultural Agreement signed between the Parties on 31st January, 1996; and

DESIRING to promote cultural exchange and strengthen the friendly relations between India and Cambodia;

Have agreed on the following Program on Cultural Cooperation for the period 2018-2022;

Article 1

1. The Parties shall encourage cooperation among the institutions of –
 - (i) culture and art studies in the field of library and cultural anthropology
 - (ii) performing arts in the field of dance and theatre
 - (iii) traditional heritage preservation in the field of archives and archaeology
 - (iv) contemporary and fine arts
2. The Parties shall exchange exhibitions and delegations/art groups/experts to facilitate cooperation among various institutions. Details of the events and delegations/art groups/experts shall be mutually agreed upon through diplomatic channels.
3. Both Parties shall participate in the national and international art festival, especially the traditional festivals of each other.
4. Both parties shall exchange a writer's delegation on reciprocal basis. Details of such visits shall be mutually decided by the Parties through diplomatic channels.

Article 2

5. The Parties shall organize "Indian Culture Week in Cambodia" and "Cambodia Culture Week in India" showcasing the art performances, cultural exhibitions, film festival etc.

6. The details of events, size of group and period of visit shall be decided through mutual consultations.

Article 3

7. The Parties shall invite each other to its international film festival as well as the documentary, short and animation film festivals.

8. The Parties shall consider organizing a film week in each other's territory with exchange of delegation of film industry. The details shall be worked out through mutual consultations.

Article 4

9. The sending Party shall send the bio-data (including languages spoken) and proposed itinerary, at least three months in advance of the expected date of visit of the delegation/ individuals, and at least six months in advance in the case of performing delegations/exhibitions so that the receiving side can suitably publicize the Programme.

10. Both Parties shall extend facilities to the delegations / individuals sent from the other party to get acquainted with the culture and life of the host country.

11. The Sending Party shall cover the international travel costs and insurances of its delegations/ individuals and the receiving Party shall provide accommodation, domestic transportation, interpreters and medical facilities.

12. In the case of performing artistes and delegations, the receiving Party shall also be responsible for:

- (i) arranging the performances of the visiting performing troupes in suitable halls
- (ii) providing possible lighting and sound arrangements required; and
- (iii) normal facilities—light—refreshment to the performing artistes during rehearsals and intermissions etc.

13. The terms & conditions for organizing exhibition shall be mutually agreed upon through diplomatic channels.

Article 5

14. Any dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Culture Exchange Program (CEP) shall be settled amicably through consultations and / or negotiations with diplomatic channels.

15. The Cultural Exchange Program can be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties through diplomatic channels. Such revisions or amendments shall enter into force on such date as may be determined by the parties.

Article – 6

16. This Cultural Exchange Program shall enter into force on the date of its signing. The Program shall be valid for five years and shall automatically be renewed for the same period, unless either Party gives notice to the other Party in writing about its intention to terminate the program within six months of the expiry of the validity period of the program.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments have signed this cultural exchange program.

Done inon..... in two originals each in Hindi, Khmer and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA



FOR THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF CAMBODIA

New Delhi, 27th January, 2018

भारत गणराज्य की सरकार
और
कम्बोडिया राष्ट्र की सरकार
के बीच
वर्ष 2018-2022 के लिए
सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार और कम्बोडिया राष्ट्र की सरकार (जिन्हें इसके पश्चात संयुक्त रूप से "दोनों पक्ष" के रूप में और पृथक रूप से "पक्ष" के रूप में उल्लिखित किया गया है) ;

31 जनवरी, 1996 को दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षर किए गए सांस्कृतिक करार के कार्यान्वयन का स्मरण करते हुए ; और

भारत और कम्बोडिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने के इच्छा से ;

2018-2022 की अवधि के लिए सांस्कृतिक सहयोग संबंधी निम्नलिखित कार्यक्रम पर सहमत हुई हैं ;

अनुच्छेद 1

- दोनों पक्ष, संस्थाओं के बीच निम्नलिखित सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे -
 - पुस्तकालय और सांस्कृतिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में संस्कृति एवं कला अध्ययन
 - नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में मंच कलाएं
 - अभिलेखागार और पुरातत्व के क्षेत्र में पारम्परिक विरासत का परिरक्षण
 - समकालीन और ललित कलाएं
- दोनों पक्ष, विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग को सुगम बनाने के लिए प्रदर्शनियों तथा प्रतिनिधि मंडलों / कला समूहों / विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे। कार्यक्रमों तथा प्रतिनिधि मंडलों / कला समूहों / विशेषज्ञों के ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से परस्पर रूप से निर्धारित किए जाएंगे।

3. दोनों पक्ष, एक-दूसरे के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव, विशेषकर पारम्परिक महोत्सवों में भाग लेंगे।
4. दोनों पक्ष, पारस्परिक आधार पर लेखकों के प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान करेंगे। ऐसे दौरों के ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से पक्षों द्वारा परस्पर रूप से निर्धारित किये जाएंगे।

अनुच्छेद 2

5. दोनों पक्ष, कला प्रस्तुतियों, सांस्कृतिक प्रदर्शनियों, फिल्म महोत्सवों आदि को प्रदर्शित करने के लिए 'कम्बोडिया में भारतीय संस्कृति सप्ताह' तथा 'भारत में कम्बोडिया संस्कृति सप्ताह' का आयोजन करेंगे।
6. कार्यक्रमों, समूह आकार तथा यात्रा की अवधि के ब्यौरे परस्पर परामर्श के माध्यम से निर्धारित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 3

7. दोनों पक्ष, एक-दूसरे को अपने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ-साथ वृत्तचित्र, लघु और एनीमेशन फिल्म महोत्सवों में आमंत्रित करेंगे।
8. दोनों पक्ष, फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि मंडल के आदान-प्रदान सहित एक-दूसरे के देश में फिल्म सप्ताह के आयोजन पर विचार करेंगे। ब्यौरे परस्पर परामर्श के माध्यम से निर्धारित किये जाएंगे।

अनुच्छेद 4

9. प्रेषक पक्ष, प्रतिनिधि मंडल/ व्यक्तियों के दौरे की संभावित तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व दूसरे पक्ष को व्यक्तियों के जीवनवृत्त (बोली जाने वाली भाषाओं सहित) और प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम की सूचना भेजेगा तथा प्रस्तुति पेश करने वाले प्रतिनिधिमंडलों / प्रदर्शनियों के मामले में यह सूचना कम से कम छह माह पहले भेजी जाएगी ताकि मेजबान पक्ष इस कार्यक्रम का उचित रूप में प्रचार कर सके।
10. दोनों पक्ष, मेजबान देश की संस्कृति और जीवन से परिचित कराने के संदर्भ में दूसरे देश से भेजे गए प्रतिनिधिमंडलों / व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करेंगे।
11. प्रेषक पक्ष अपने प्रतिनिधिमंडलों / व्यक्तियों के अंतरराष्ट्रीय यात्रा खर्च तथा बीमा खर्च का वहन करेगा तथा मेजबान पक्ष आवास, घरेलू परिवहन, दुभाषिए तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
12. प्रस्तुति पेश करने वाले कलाकारों और प्रतिनिधिमंडलों के मामले में, मेजबान पक्ष निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होगा :

- i. उपयुक्त हॉल में आगन्तुक मंचकला मंडलियों की प्रस्तुतियों के लिए व्यवस्था
- ii. अपेक्षित संभव प्रकाश और ध्वनि व्यवस्था तथा
- iii. अभ्यास और मध्यान्तर आदि के दौरान मंच कलाकारों के लिए सामान्य सुविधाएं और अल्पाहार ।

13. प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए नियम और शर्तें राजनयिक चैनलों के माध्यम से परस्पर रूप से निर्धारित की जाएंगी।

अनुच्छेद 5

14. इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) की व्याख्या और / अथवा कार्यान्वयन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच किसी विवाद का निपटारा मैत्रीपूर्ण ढंग से राजनयिक चैनलों के जरिये परामर्श और / अथवा बातचीत के माध्यम से किया जाएगा।
15. राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्षों की परस्पर लिखित सहमति से किसी भी समय इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की समीक्षा अथवा संशोधन किया जा सकता है। ऐसे परिशोधन अथवा संशोधन दोनों पक्षों द्वारा यथा निर्धारित तारीख से प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद 6

16. यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होगा। यह कार्यक्रम पांच वर्ष के लिए वैध रहेगा और इतनी ही अवधि के लिए स्वतः ही नवीकृत रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक पक्ष इस कार्यक्रम की वैधता अवधि की समाप्ति के छह माह के भीतर इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी मंशा के बारे में लिखित रूप में दूसरे पक्ष को सूचना नहीं दे देता है।

इसके साक्ष्य स्वरूप, अधोहस्ताक्षरी ने अपनी-अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत किए जाने पर इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस कार्यक्रम पर में को हिन्दी, खमेर और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में किसी विभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

कम्बोडिया राष्ट्र की सरकार
की ओर से

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2018